

क्रमांक:- प.9(6)नविवि/1/2024

जयपुर, दिनांक :

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर
कोटा/उदयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
आबू (सिरोही)/भरतपुर/बीकानेर/ सीकर/अलवर
बाड़मेर/ भीलवाड़ा/ चित्तौड़गढ़ / श्रीगंगानगर /
जैसलमेर/ पाली /सवाईमाधोपुर।

निदेशक वित्त,
जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन,
जयपुर।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

मुख्य नगर नियोजक,
नगर नियोजन विभाग,
जयपुर।

रजिस्ट्रार,
राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी
जयपुर।

विषय:- विभाग में अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के निष्पादन हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों में शिथिलता प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22.12.2023 के क्रम में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.01.2024 को जारी अ.शा.टीप क्रमांक: एफ.10(41)वित्त/व्यय-4/2022 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार करवाये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. रिपेयर/मेन्टीनेन्स से संबंधित कार्य।
2. कार्यालय व्यय (OE) मद से किये जाने वाले व्यय (नवीन आईटम के अतिरिक्त)।
3. ग्रामीण एवं शहरी स्वायत्तशासी संस्थाओं के राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/निजी आय से किये जाने वाले कार्य।
4. विभाग के नियमित/परिचालन गतिविधियों से संबंधित टेण्डर तथा दर संविदायें।
5. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD) के कार्य।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(जुगल किशोर मीना)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

RajKaj Ref
5523165



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय